न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

समस्त लुहरान करौली जरिये

1. लटूर अहमद पुत्र रहमत खाँ
2. नजमुद्धीन पुत्र मुन्ना खाँ
3. रफीक पुत्र बशीर
4. साबू पुत्र समसुद्धीन

सभी जाति मुसलमान निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली (राज0) :— प्रार्थीगण

बनाम

1. नगरपरिषद करौली जरिये आयुक्त महोदय, करौली
2. तहसीलदार तहसील करौली
3. आम जनता करौली जरिये गजानंद शर्मा पुत्र तुलसीराम शर्मा निवासी शुक्ला कॉलोनी तहसील व जिला करौली — अप्रार्थीगण

अपील वानाराजगी नामांतकरण संख्या 3897 दिनांक 29.11.12 तहसीलदार तहसील करौली जिसके जरिये खसरा नंबर 4616 व 4648 वाके कस्बा करौली को समस्त लुहरान के खिलाफ वहक नगरपरिषद करौली के हक में तस्दीक किया है।

निर्णय

दिनांक 16.03.2020

यह अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा मुकदमा नं. 220 / 80, 84 / 87 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.1997 की पालना में तहसीलदार करौली द्वारा आराजी खसरा नं. 4616 एवं 4648 बाके कस्बा करौली का नामांतरकरण संख्या 3897 निर्णय दिनांक 29.11. 2012 नगर परिषद, करौली के पक्ष में तस्दीक किये जाने के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज के विरूद्ध नामांतकरण संख्या 3897 तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है और दौराने अपील भूमि की स्थिति यथावत रखना आवश्यक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित करने में भूल की है। इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 4616 व 4648 वाके कस्बा करौली के बाबत प्रकरण संख्या 84 / 8 व उनवानी प्रकरण समस्त लुहरान मुसलमान बनाम यादववाटी गौशाला वगैरहा घोषित किये जा चुके है जो सर्वोच्च न्यायालय तक से बहाल रहा है इसमें तहसीलदार करौली स्वयं पक्षकार है। पक्षकार होते हुए उक्त निर्णय व डिक्री की अनदेखी करते हुए नामांतकरण जेर अपील निर्णीत करने में कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में डिक्री व निर्णय की प्रति प्रस्तुत है। उक्त खसरा नम्बर 4616 व 4648 बाबत माननीय राजस्व मण्डल में भी प्रकरण लंबित है जिसकी पूर्ण जानकारी तहसील करौली को होते निर्णीत करने में कानूनी भूल की है इसलिए निर्णय जैर अपील निरस्त होने योग्य है। उक्त खसरा नंबरों में समस्त लुहरान की हजारो कब्रे आज भी मौजूद है और तत्कालीन उपजिला कलक्टर श्री मनोज जी ने तहसीलदार करौली द्वारा कब्रों बाबत गलत रिपोर्ट करने पर मौतिल तक कर दिया। स्टे के समय से समस्त लुहरान के कब्रिस्तान होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोण्डेण्ट के हक में नामांतकरण

तस्दीक करने में कानूनी भूल की है इसलिए नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। नामांतकरण को देखने मात्र से फर्जीयत दिखती है क्योंकि 29.11.12 को करौली में नगरपरिषद दर्ज करने में कानूनी भूल की है तथा कटिंग पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है इसलिए भी नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। नामांतकरण जैर अपील इसलिए भी निरस्त होने योग्य है कि इन्हीं खसरा नम्बरों के बाबत दावा ए.सी.जे.एम. करौली में आम जनता शुक्ला कॉलोनी बनाम राज. राज्य का मुकदमा नंबर 132/16 लंबित था जिसका निर्णय दिनांक 03.02.2016 को हुआ है। इसलिए भी अपीलाण्ट को पक्षकार बनाने के बाद सुनवाई का पूर्ण अवसर देना प्राकृतिक न्याय के तहत जरूरी है इसलिए भी निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट ने ही इसके पूर्व एलोटमेंट को खारिज कराकर सिवायचक दर्ज कराया है। अपीलाण्ट का उक्त नामांतकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2017 को होने पर उसी रोज प्रार्थना पत्र नकल पेश करने पर दिनांक 06.07.2017 को नकल प्राप्त होने के तुरंत बाद ही अपील अंदर मियाद 30 दिवस पेश की जा रही है उसके बाद भी कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश है नामांतकरण की प्रमाणित प्रति पेश है। बकिया उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगें। अंत में अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि बाद तलबी रेस्पोण्डेण्ट व पत्रावली बहस समाअत की जाकर अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमाई जावे और खसरा नम्बर 4616 व 4648 को अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज करने के लिए आदेश फरमाये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट् ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि विवादित नामांतकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। समस्त लुहरान बनाम यादववाटी निर्णय दिनांक 26.11.97 के मुताबिक विवादित ख.नं. 4616 व 4648 में मुर्दा दफनाने के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित न करने के लिये शास्वत काल तक विरक्त करने के आदेश दिये गये है। इस वादपत्र में तहसीलदार करौली प्रतिवादी नं. 3 की हैसियत से पैरवी की है और सारे तथ्यों की पूर्ण जानकारी तहसीलदार करौली को पूर्ण जानकारी होते हुए विवादित नामांतकरण को नगरपरिषद के नाम बगैर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर नामांतकरण तस्दीक किया है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि ख.नं. 4616 व 4648 वाके कस्बा करौली में है जिसमें पंच लुहरान के मुर्दा दफनाने के ईजमेंट्री राईट्स दीवानी न्यायालय द्वारा तय किये जा चुके है जो सुप्रीम कोर्ट तक से बहाल रहे है। अपीलाण्ट न्यायालय जिला जज ने उक्त ख.नं. मुर्दा दफनाने के लिये तय हुआ है जो नगरपरिषद के नाम उक्त विवादित नम्बरों का नामांतकरण होने से नगरपरिषद उक्त आराजीयात को प्लॉटो के रूप में विक्रय करने के लिये स्वतंत्र हो जावेंगे। उक्त ख.नं. में कब्रिस्तान पंच लुहरान का नाम भी साथ में दर्ज होना आवश्यक है अथवा कब्रिस्तान शब्द दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे अपीलाण्ट को दीवानी अदालत से प्राप्त अधिकारों का कोई दुरूपयोग ना हो जब अंतिम निर्णय मुर्दा दफनाने हु पंच लुहरान को प्राप्त हो चुका है तो इससे पिछले तथ्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। न्यायालय द्वारा मुर्दा दफनाने बाबत् प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा किया जाना अपीलाण्ट का परम कर्तव्य है। यह कानून का स्पष्ट मत है कि विपक्षी को सुनवाई से पूर्व विधिवत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। कोई भी आदेश जिसका प्रभाव विपक्षी पक्षकार पर पड़ता है तो नोटिस के अभाव में किया गया निर्णय प्रभावहीन होगा जैसा कि 1982 WLN पेज 127 नोट–जे प्राकृतिक

न्याय के आधार पर पारित किया गया है इसलिये नामांतकरण जेर अपील निरस्त होने योग्य है और इसी प्रकार 1970 RRD पेज 148 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जब तहसीलदार निर्णय में पक्षकार है तो निर्णय दिनांक 26.11.1997 की पालना तहसीलदार को करना आवश्यक है। अब तयशुदा मुर्दा दफनाने की भूमि किसी दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है इससे मुर्दा दफनाने में अपीलाण्ट को व्यवधान उत्पन्न होना मुर्दा दफनाने से न्यूसेन्स उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है एवं बहस रेस्पोण्डेण्ट में दर्ज तथ्य का गुणावगुण पर विचार किया जाना अधीनस्थ न्यायालय का है। जब अपीलाण्ट को नामांतकरण की कार्यवाही करने से पूर्व अवसर दिया जाता तो सारे तथ्यों का स्पष्टीकरण अपीलाण्ट तहसीलदार करौली के समक्ष करता। ख.नं. 4616 व 4648 में कब्रें होने का तथ्य तहसीलदार द्वारा बनाये फर्द मौका में दिनांक 01.03.2004 में दर्ज है इसलिये यह कहना कि इसमें कब्रें नही है। बे–मायने हो जाता है और अपीलाण्ट को न्यायहित में नामांतकरण का निर्णय दिनांक 29.11.2012 पारित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना प्राकृतिक न्याय के अनुसार आवश्यक है इसलिये नामांतकरण जेर अपील निरस्त होने योग्य है। विकल्प में नगरपरिषद के साथ निर्णय दिनांक 26.11.97 का अंकन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अंत में जैर अपील निर्णय को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण संख्या 3837 सही एवं विधि के अनुसार तस्दीक किया गया है और अपीलाण्ट को इस नामांतकरण के विरूद्ध अपील करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट का इस भूमि किसी प्रकार का कोई हक नही है अपील में दर्ज समस्त तथ्य झूठे व गलत दर्ज किये गये है। खसरा नंबर 4616 व 4648 वाके कस्बा करौली बाबत प्रकरण संख्या 84/84 उनवानी प्रकरण समस्त लुहरान मुसलमान बनाम यादव वाटी गौशाला का निर्णय दिनांक 26.11.1997 में कब्रिस्तान घोषित करने का आदेश अपील में अपीलीय न्यायालय जिला एवं सैशन जज करौली द्वारा अपनी अपील संख्या 02/98 उनवानी यादववाटी गौशाला करौली बनाम समस्त लुहरान करौली निर्णय दिनांक 20.08.1999 को निरस्त कर दिया गया और इस भूमि में समस्त लुहरान मुसलमानों के स्वामित्व के समस्त लुहरान मुसलमानों के स्वामित्व के समस्त अधिकार नहीं माने केवल कस्टुमरी राईटस ही माने एवं इस भूमि पर मालिकाना हक यादववाटी गौशाला करौली का माना व उक्त निर्णय में माननीय जिला एवं सैशन जज के न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संशोधन की कोई आवश्यकता नही है इस प्रकार जिला एवं सैशन जज करौली श्री बिहारी लाल गुप्ता का आदेश दिनांक 20. 08.1999 के द्वारा अपीलाण्ट ने अपनी अपील के मद नं. 3 में जिस निर्णय का हवाला दिया है वह परिवर्तित कर दिया गया और अब प्रभावी नही है एवं सर्वोच्च न्यायालय तक जिला एवं सैशन जज के निर्णय की अपील की गई थी जो सात साल देरी से की गई और म्याद के बिन्दू पर खारिज की गई ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस भूमि के संबंध में कोई निर्णय तथ्यों के एवं गुणावगुण के आधार पर नहीं किया गया और जिला एवं सैशन जज का ही निर्णय बहाल रखा गया। इस प्रकार अपील न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है। अपीलाण्ट ने अपील के निर्णय को छिपाया है और जो आदेश परिवर्तित कर दिया गया उसको दिखाकर न्यायालय को धोखा देकर गुमराह करना चाहता है। न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को कब्रिस्तान घोषित नही किये गये है। अपीलाण्ट के द्वारा अपनी अपील के मद नं. 5 में पुनः तथ्यों एवं पूर्व में हुये निर्णयों को छुपाते हुये न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया गया है। खसरा नंबर 4648 में कोई कब्रे नही है एवं तत्कालीन उपजिला कलक्टर श्री भनोत साहब के द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया सच्चाई इस प्रकार है इस विवादित भूमि खसरा नंबर 4648 पूरब

दिशा में पंच लुहरान के कब्रिस्तान है जिनका खसरा नंबर 4647 व 4622 है एवं मुसलमान लुहरान के द्वारा दिनांक 09.01.1996 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार करौली के यहां इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उन्हें यादववाटी गौशााला की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4648 में पाटौर डालने की इजाजत दी जावें। इस पर तत्कालीन तहसीलदार श्री हुसैन साहब ने इस भूमि को समस्त मुसलमान लुहरान के लिये कब्रिस्तान हेतु रेगुलाइजेशन करने की सिफारिश के साथ एस0डी0ओ0 करौली को पत्रावली प्रेषित कर दी एवं एस0डी0ओ0 साहब के द्वारा मूल सिफारिश के साथ उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां भेज दी गई एवं श्रीमान् जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त पत्रावली जांच कर निर्णय हेंतु एस0डी0एम0 सवाई माधोपुर श्री गंगालहरी शर्मा के न्यायालय में भिजवा दी गई तब श्रीमान् एस0डी0एम0 करौली को मौका देखने व दोनों का अवलोकन करके अपनी रिपोर्ट भेजने के आदेश प्रदान किये जिस पर एस0डी0ओ0 करौली द्वारा हल्का गिरदावर से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट में उस भूमि में एक भी कब्र नही पाई गई व एस0डी0एम0 द्वारा अपनी रिपोर्ट गंगालहरी शर्मा ए0डी0एम को उनके न्यायालय में भिजवा दी गई तब दिनांक 13.02.1964 को श्रीमान् दिनांक 30.03.1964 मे यह लिखा है कि विवादित भूमि यादव वादी गौशाला की खातेदारी की है और इसमें मुसलमान लुहारान के कभी कोई हक व खातेदारी नहीं रही और इसमें कभी कब्रिस्तान नहीं रहे एवं केवल एक पाटौर डालने के प्रार्थना पत्र पर समस्त भूमि इनके नाम किया जाना न्याय संगत नहीं है। गलत है। और तहसीलदार की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मुसलमान लुहारान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं उसमें अंत में यह लिख दिया अपीलाण्ट के द्वारा इन सब प्रकरणों की कार्यवाही व आदेशों को इस अपील में छिपाया है एवं ए.डी.एम. सवाई माधोपुर के द्वारा इस विवादित भूमि में इनके कोई हक नहीं माने। ऐसी स्थिति में इनको अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इंजमेन्ट एक्ट में यह प्रावधान है कि स्वामित्व हस्तांतरण होने पर इंजमेन्ट अधिकार समाप्त हो जाते है। इस प्रकार यह भूमि यादववाटी गौशाला की खातेदारी खत्म होने पर राजस्थान सरकार की खातेदारी में आई और राजस्थान सरकार की खातेदारी से नगर परिषद की खातेदारी में आई। इस प्रकार इस भूमि में इनके सुखाधिकार समाप्त हो चुके हैं और इस तरह इनको अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि जिला कलक्ट्रेट कार्यालय से 100–150 फुट की दूरी पर है और इसके चारों ओर घनी आबादी है। इसमें मुर्दा गाडने से आस पास के कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है व न्यूसेंस उत्पन्न होता है एवं जिला न्यायाधीश श्रीमान् बिहारी लाल जी ने अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मुर्दा गाडना हितकर नहीं है। किन्तु इस दावे में इस बिन्दु पर ना तो अभिवचन है ना तनकी है। लेकिन इस स्तर पर इस संबंध में अलग से वाद लाया जा सकता है। और प्रशासनिक स्तर पर भी इस संबंध में कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय के आदेशानुसार श्रीमान्जी इनको प्रशासनिक स्तर पर मुर्दा गाडने से रोकने के लिए सक्षम है। शुक्ला कॉलानी बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में शुक्ला कॉलोनी के निवासियों ने समस्त मुसलमान लुहारान के विरुद्ध न्यूसेंस के आधार पर इस आशय का मुकदमा किया हुआ है कि यहां मुर्दा गाडना आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा और बीमारियां फैलेगी इनको रोका जावे व इनसे आम जनता से न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है जहां तक पूर्व एलोंटमेंट खारिज करने का प्रश्न है। उसमें श्रीमान के न्यायालय में धारा 14(4) सी.आर.ए.सी.टी. में पक्षकार नही थे एवं यादववाटी गौशाला करौली ने उक्त निर्णय के विरूद्ध आर0ए0ए0 सवाई माधोपुर कैम्प करौली में अपील प्रस्तुत की जिसमें इनके द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब राजस्व अपीलीय अधिकारी के द्वारा इनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और इनको पक्षकार नहीं माना ऐसी स्थिति में इनका ये कहना कि हमने एलोटमेंट खारिज कराये

सिवायचक दर्ज कराया गलत है। तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। अपील 4 साल सात माह आठ दिन डिले है जिसका कोई स्पष्टीकरण संतुष्टिप्रद नही है। नामांतरकरण की कार्यवाही सावर्जनिक रूप से की गई और इसकी अखबार में भी सूचना प्रकाशित हुई एवं खातेदारी बदली सूचना प्रकाशित हुई एवं खातेदारी बदली गई उसाने की जानकारी रखने की पक्षकारान् की जिम्मेदारी थी जानकारी का प्रश्न एक की जिम्मेदारी थी जानकारी का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके कोई आधार नहीं है और इसको प्र्याप्त कारण नही माना जा सकता है इस प्रकार अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 ने बहस के दौरान कथन किया है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1997 अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.1999 को निरस्त कर दिया गया है। विवादित भूमि पूर्व में यादववाटी गौशाला की रही है। अपीलाण्ट्स द्वारा सन् 1961 में बैठने के लिए पाटौर डालने की अनुमति मांगी गई थी। केवल पाटौर डालने की अनुमति मिलने मात्र से ही अपीलाण्ट्स उस भूमि का हकदार नहीं हो जाते हैं। विवादित आराजी के पास ही खसरा नं. 4651 में शुक्ला कॉलानी बसी हुई है जिसके नाले का पानी भी उक्त विवादित भूमि में होकर ही निकलता है। अपीलाण्ट्स अब भी उस भूमि में होकर आम आदमी को रास्ता निकलने नहीं देते हैं। पानी के निकलने पर भी एतराज करते हैं। यदि भूमि अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज हो जाती है तो न्यूसेंस पैदा होंगे। पास स्थित कॉलोनी के वाशिन्दों के नाली के पानी निकलने की समस्या पैदा हो जावेगी, हवा भी प्रदूषित होगी। निर्णय दिनांक 26.11.1997 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलाण्ट्स को कस्टूमरी राईट्स प्राप्त हुए हैं जिसके लिए मुर्दा दफनाने में उन्हें कोई बाधा कारित नहीं करेगा लेकिन उस विवादित भूमि को उनके नाम किये जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। निर्णय में यह साफ लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह का परिवर्तन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। आराजी खसरा नं. 4616 एवं 4648 पूर्व में यादववाटी गौशाला के नाम रही है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा मुकदमा नं. 220 / 80, 84 / 87 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.1997 में विवादित आराजी पर मालिकाना हक यादववाटी गौशाला का माना गया है एवं उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट्स का कस्टूमरी राइट्स मानते हुए उक्त विवादित आराजी को कब्रिस्तान घोषित किया गया है लेकिन उक्त आदेश में विवादित आराजी को अपीलाण्ट्स के नाम किये जाने का कोई उल्लेख नही है। कस्टूमरी राईट्स तब ही पैदा होते हैं जब भूमि पर मालिकाना हक किसी और का हो और उसका उपयोग कोई और कर रहा हो। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अतः विवादित आराजीयात को अपीलाण्ट्स के नाम नहीं किया जा सकता और ना ही अपीलाण्ट्स के नाम किये जाने बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जा सकता है। यह तथ्य माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.08.1999 में स्पष्ट किये गये हैं। यादववाटी गौशाला को किया गया आवंटन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा खारिज कर दिया गया है जिससे यह भूमि सरकार के खाते में आ गई। बाद में शहरी सिवायचक भूमि को स्थानीय नगर निकाय को स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के आदेश पर यह भूमि नगर परिषद करौली के खाते में गई है। अपीलाण्ट्स को विवादित आराजी पर सिर्फ कस्टूमरी राईट्स निर्णय दिनांक 26.11.1997 द्वारा दिये गये थे, मालिकाना हक

नहीं दिये गये थे। इसलिये विवादित भूमि का नामांतरकरण अपीलाण्ट्स के नाम नहीं खोला जा सकता। विवादित भूमि उसके मालिक नगर परिषद, करौली के नाम ही रहनी चाहिये। इस प्रकार यह नामांतरकरण विधिक प्रक्रिया अनुसार सही खोला गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है तथा तहसीलदार करौली द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 3897 दिनांक 29.11.2012 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति आयुक्त, नगर परिषद, करौली को भी भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:18:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: